कार्यालय उप विकास आयुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, पलामू।

(महात्मा गाँधी नरेगा कोषाँग)

अल्पकालीन निविदा

विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार राँची के पत्रांक (N) 269 (अनु0), राँची, दिनांक 24.02.2021 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में मनरेगा अन्तर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बागवानी हेतु पलामू जिला अन्तर्गत सभी प्रखण्डों में खाद सामग्रियों का क्रय किया जाना है। निम्न सामग्री के दर निर्धारण हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं से मोहरबंद अल्पकालीन निविदा निम्नांकित शर्तों पर आमंत्रित की जाती है :–

Sl. No.	Name of Material
1	Vermi-Compost (in kg)
2	Karanj/Neem oil cake (in kg)
3	Biflex TC of equivalent (Anti-termite) (in litre)
4	Trichoderma xp. (in kg)
5	Dolomite (in kg)
6	Bone meal/SSP (in kg)
7	Fipronil 0.3 GR (in kg)
8	Azadirechtin 3000 PPM (in litre)
9	Chlorothalonil 75%WP (in kg)
10	Fungicides (in kg) (Blue Copper/CuOCI)
11	Lambda-Cyhalothrin 5%EC (in litre)
12	Micronutrient (ToTocare, Multiplex) (in litre)
13	Chemical Fertilizer (NPK : Sufala/ 10:26:26) in kg
14	Chemical Fertilizer (Urea) in kg
15	Polythene for Jalkund (18ftX14ft) 250 micron UV resistant

निविदा डालने हेतु शर्तें :–

1. निविदादाता का फर्म काली सूची में दर्ज (Black Listed) नहीं है, संबंधी शपथ–पत्र मूल में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. अद्यतन वाणिज्यकर, सफाई प्रमाण पत्र (Clearance Certificate) एवं पिछले तीन वर्षों का आयकर रिर्टन की छायाप्रति एवं कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. GST का निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता को अग्रधन के रूप में 10000.00 (दस हजार) रूपये का Bank Draft उप विकास आयुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, पलामू के नाम से जमा करना होगा।
5. निविदादाता को निविदा में सभी कर आदि सम्मिलित करते हुए शुद्ध दर (Net Price) अंकित करना होगा।
6. इस संबंध में तकनीकी बीड एवं क्रमांक 05 फाईनेनसियल बीड अलग–अलग बन्द लिफाफा में देना अनिवार्य होगा। क्रय समिति द्वारा तकनीकी बीड मान्य होने के पश्चात फाईनेनसियल बीड खोला जायेगा।
7. निविदा दिनांक 12.05.2021 को अपराह्न 01:00 बजे तक प्राप्त किया जाएगा। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद निविदा स्वीकार्य नहीं होगा एवं निविदा दिनांक 12.05.2021 को अपराह्न 03:00 बजे सक्षम क्रय समिति की उपस्थिति में निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी।
8. आपूर्ति आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर सामग्रियों की आपूर्ति प्रखण्ड स्थित संबंधित ग्राम पंचायत के योजना स्थल पर करना अनिवार्य होगा, जिसके लिए अन्य कोई ढुलाई अथवा भत्ता देय नहीं होगा।

9. आपूर्तिकर्ता Product किस Company का देंगे वह भी उल्लेख करना अनिवार्य है, जो आपूर्तिकर्ता Product का Company का नाम नहीं लिखेंगे उनका Quotation रद्द कर दिया जायेगा।

10. निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता यदि समय–सीमा के अन्दर सामग्री की आपूर्ति नहीं करते हैं अथवा आपूर्ति में गड़बड़ी करते हैं तो निविदा रद्द करते हुए जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी तथा अन्य आपूर्तिकर्ता से सामग्री आपूर्ति करायी जायेगी। सामग्री की गुणवत्ता खराब होने पर जाँच प्रतिवेदन के आलोक में कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

11. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी एवं बिना कारण बताए निविदाओं को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी/विभाग के सक्षम पदाधिकारी के पास पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा।

12. क्रय समिति द्वारा निर्धारित दर अंतिम रूप से मान्य होगा।

13. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के आदेश के आलोक में आपूर्तिकर्ता द्वारा सामग्री की आपूर्ति एक सप्ताह के अन्दर की जाएगी।

14. जिले में पंजीकृत ग्राम संगठन/कृषक उत्पादक कम्पनी/कृषक उत्पादक समूह/कृषक–कॉ–आपरेटिव जिनके पास सामगी है, उन्हें प्राथमिकता दिया जाएगा।

ह0/-

उप विकास आयुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक, पलामू।

ज्ञापांक 368 /मनरेगा, दिनांक 20.4.2021.

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि उक्त अल्पकालीन निविदा को जिले के Official Website - www.palamu.nic.in पर आज ही अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाए।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से हिन्दी में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र में उक्त अल्पकालीन निविदा का प्रकाशन कराया जाए।

प्रतिलिपि :– निदेशक–सह–संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, पलामू को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

20/4/21

उप विकास आयुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक, पलामू।